राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित भवन" जनपथ, जयपुर–302015
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः– एफ.3(ख)/(एस–734/2013)/अलेसे–II/2408-2418 दिनांक :– 30.1.25

कार्यालय आदेश

श्री श्रवण कुमार विश्नोई, कनिष्ठ लेखाकार (लिंक न. 12450) को इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 1142–49 दिनांक 23.09.2022 के द्वारा ग्राम विकास अधिकारी, भर्ती परीक्षा में किसी अन्य परिक्षार्थी के स्थान पर रा.उच्च माध्यमिक विद्यालय, देबारी (उदयपुर) केन्द्र पर परीक्षा देते हुए पकडे जाने के कारण दिनांक 09.07.2022 से निलम्बित किया गया था। श्री श्रवण कुमार विश्नाई, कनिष्ठ लेखाकार को निलम्बित हुए 6 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। श्री विश्नोई द्वारा निर्वाह भत्ता बढाये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम के नियम 53 (1) के अनुसरण में श्री श्रवण कुमार विश्नोई, कनिष्ठ लेखाकार (निलंबित) को दिये जा रहे निर्वाह भत्ते में 50% की अभिवृद्धि किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.3(ख)/(एस–734/2013)/अलेसे–II/2408–2418 दिनांक :–30.1.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
2. जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर।
3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
4. कोषाधिकारी, कोषालय पाली।
5. श्री श्रवण कुमार विश्नोई, कनिष्ठ लेखाकार (निल.), मुख्यालय, कोषालय, पाली।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. पदस्थापन सीट/एसीपी सीट/जांच शाखा/रक्षित पत्रावली।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)

D:\sas-ii\seema ji\Order.docx3.docx